

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
- :: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर
=====

क्रमांक एफ 13-47/2010/20-3
प्रति,

नया रायपुर, दिनांक 25-7-13

1. समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़ ।
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत, छत्तीसगढ़ ।
3. समस्त शिक्षा अधिकारी,
छत्तीसगढ़ ।
4. समस्त सहायक आयुक्त,
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग,
छत्तीसगढ़ ।

विषय :- 6 से 14 आयु वर्ग आयु के समस्त बच्चों के लिए अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा से संबंधित अधिनियम अंतर्गत विद्यालय प्रबंध समिति का गठन बाबत् ।

संदर्भ :- विभाग का पत्र क्रमांक एफ 13-47/2010/20-3, दिनांक 11.08.2011

---00---

संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें । निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक विद्यालय में विद्यालय प्रबंध समिति (School Management Committee) का गठन छत्तीसगढ़ निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 की कंडिका-3 के अंतर्गत किया गया है ।

2/- उक्त विद्यालय प्रबंध समिति की संरचना के संबंध में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

1. संरचना शीर्षक अंतर्गत टीप “विद्यालय प्रबंध समिति में उपर्युक्तानुसार 15 सदस्यों में से 50 प्रतिशत अर्थात् 8 पदों पर महिला सदस्य होंगी ।” के पश्चात् निम्नांकित टीप जोड़ी जाए “समिति में अलाभित समूह और कमज़ोर वर्ग के बालकों के माता-पिता या संरक्षकों को समानुपातिक प्रतिनिधित्व दिया जाये ।”
2. शीर्षक कार्यकाल अंतर्गत “समिति का कार्यकाल शिक्षा सत्र के लिए ही होगा” के स्थान पर “शाला प्रबंध समिति का कार्यकाल 2 वर्ष 6 माह होगा ।”

शेष बिन्दु यथावत रहेंगे ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

R.Shanediya
(रीता शाण्डल्य)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर ।
 2. निज सहायक, माननीय मंत्रीजी आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर ।
 3. अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नया रायपुर ।
 4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति, अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर ।
 5. आयुक्त/संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, रायपुर ।
 6. आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय परिसर, रायपुर ।
 7. मिशन संचालक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन, रायपुर छत्तीसगढ़ ।
 8. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, शंकर नगर, रायपुर ।
- को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

R. SL-८५१७९

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

मेरी समीक्षा के लिए इस बाबत का उल्लंघन करने की जरूरत नहीं है।

मेरी समीक्षा के लिए इस बाबत का उल्लंघन करने की जरूरत नहीं है।

मेरी समीक्षा के लिए इस बाबत का उल्लंघन करने की जरूरत नहीं है।

मेरी समीक्षा के लिए इस बाबत का उल्लंघन करने की जरूरत नहीं है।